न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :– हंसाराम पुत्र राणाराम

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1) सुंदर देवी पत्नी हरचन्दराम
2) पदमाराम पुत्र राणाराम
3) उमाराम पुत्र राणाराम
4) मांगी देवी पुत्री राणाराम
5) कमली देवी पुत्री राणाराम
6) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री हंसाराम स्वंय वादी।
2. श्री सुंदर देवी प्रतिवादीगण
3) पदमाराम
4) उमाराम
5) मांगी देवी
6) तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 23.10.21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत ~~खसरा~~ खाता नं 179 रकबा 65-08 बीघा,

सरहद मौजा बागुण्डी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम हरचन्दराम होने से राजस्व रेकर्ड में हरचन्दराम पुत्र राणाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम हंसाराम पुत्र राणाराम दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज हरचन्दराम के स्थान पर हंसाराम पुत्र राणाराम सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ....हरचन्द्रराम.......... के स्थान पर ....हंसाराम पुत्र राणाराम........ दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ....उप तहसीलदार दूदवा........ तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत ~~खसरा~~ खाता नं ....179........ रकबा ....65-08........ बीघा, सरहद मौजा ....बाग्गुण्डी........ तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ....हरचन्द्रराम........ दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ....पचपदरा........ की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ....हरचन्द्रराम........ दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ....हंसाराम........ है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत ~~खसरा~~ खाता नं ....179........ रकबा ....65-08........ बीघा, सरहद मौजा ....बाग्गुण्डी........

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ....हरचन्द्रराम........ पुत्र ....राणाराम........ के स्थान पर ....हंसाराम........ पुत्र ....राणाराम........ खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ....23/10/2021........ **को कोर्ट केम्प कोर्ट**........आकड़ली रामसीन........ **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

2021
4984

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6—7 जाबता दीवानी)

(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

केम्प कोर्ट......आकड़ली ब्रह्मधाम

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1) हंसाराम s/o राणाराम तहसील पचपदरा जिला बाडमेर		1) सुंदर देवी पत्नी केसाराम 2) पदमाराम पुत्र राणाराम 3) उमाराम पुत्र राणाराम 4) मांगी देवी पुत्री राणाराम 5) जमली देवी पुत्री राणाराम 6) राजस्थान सरकार जरिये भू –धारक तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– /2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री हंसाराम पुत्र राणाराम वादी स्वंय मिनजानिब श्री नरेश सोनी पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि **वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर** खेत खसरा न ......179...... रकबा ......65-08...... बीघा, सरहद मौजा ......आकड़ली ....

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ......हरचन्दराम...... पुत्र ......राणाराम...... के स्थान पर ......हंसाराम...... पुत्र ......राणाराम...... खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ......23/10/2021...... को जारी की गई।

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

मुददई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा			स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:48:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner